



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265027
CG-DL-E-28072025-265027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 524]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

✓fekl ipuk

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025

सं. 1-सीए (7)/231/2025 —भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 01 जुलाई, 2025 से नागौर जिला (राजस्थान) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की नागौर जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय नागौर में अवस्थित होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण नागौर जिले पर होगी :—

- नागौर
- मुंडवा
- खींवसर
- मेडता
- रियान बड़ी
- देगना

7. जायल
8. संजू

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निवेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./257/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23th July,2025

No. 1-CA (7)/231/2025—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council in Nagaur District (Rajasthan) with effect from July 01, 2025.

The Branch shall be known as Nagaur District Branch of Central India Regional Council and its Headquarters shall be at Nagaur. The Jurisdiction of the Branch besides the following places shall cover whole District of Nagaur: -

1. Nagaur
2. Mundwa
3. Khinvsar
4. Merta
5. Riyan Badi
6. Degana
7. Jayal
8. Sanju

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(DR.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./257/2025-26]

विनियम

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025

सं. 1-सीए (7)/232/2025—भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 01 जुलाई, 2025 से चुरू जिला (राजस्थान) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की चुरू जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय चुरू में अवस्थित होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण चुरू जिले पर होगी:-

1. चूरू
2. रतनगढ़
3. सरदारशहर
4. सुजानगढ़
5. तारानगर
6. राजगढ़
7. राजलदेसर
8. बीदासर
9. सिधमुख

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./257/2025-26]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23th July,2025

No. 1-CA (7)/232/2025—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council in Churu District (Rajasthan) with effect from July 01, 2025.

The Branch shall be known as Churu District Branch of Central India Regional Council and its Headquarters shall be at Churu. The Jurisdiction of the Branch besides the following places shall cover whole District of Churu: -

1. Churu
2. Ratangarh
3. Sardarshahar
4. Sujangarh
5. Taranagar
6. Rajgarh
7. Rajaldesar
8. Bidasar
9. Sidhmukh

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(DR.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./257/2025-26]

vfekl ipuk

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025

सं. 1-सीए (7)/233/2025 — भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 01 जुलाई, 2025 से झुंझुनू जिला (राजस्थान) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की झुंझुनू जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय झुंझुनू में अवस्थित होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण झुंझुनू जिले पर होगी :—

1. मलसीसर
2. बुहाना
3. चिरावा
4. झुंझुनू
5. मंडावा
6. नवलगढ़
7. गुढ़ा गौड़जी
8. सुरजगढ़
9. बिसाऊ

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद के माध्यम से परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./257/2025-26]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23th July,2025

No. 1-CA(7)/233/2025— In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council in Jhunjhunu District (Rajasthan) with effect from July 01, 2025.

The Branch shall be known as Jhunjhunu District Branch of Central India Regional Council and its Headquarters shall be at Jhunjhunu. The Jurisdiction of the Branch besides the following places shall cover whole District of Jhunjhunu: -

1. Malsesar
2. Buhana
3. Chirawa
4. Jhunjhunu
5. Mandawa
6. Nawalgarh
7. Gudha Gourji
8. Surjgarh
9. Bissau

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(DR.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./257/2025-26]